# मध्यप्रदेश विधान सभा

## सितम्बर, 1992 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

**मंगलवार, दिनांक 8 सितम्बर, 1992 (भाद्र 17, 1914)**

**समय 10.30 बजे दिन**

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक-60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार सिंगोली जांच आयोग जिला मन्दसौर (मध्यप्रदेश) का प्रतिवेदन दिनांक 30 जुलाई, 1990 द्वारा श्री सी.एम. माथुर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश मन्दसौर (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

(2) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एंव उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश निर्यात निगम मर्यादित का बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे दिनांक 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पटल पर रखेंगे.

(3) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम मर्यादित का 21-वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1986-87 वर्ष समाप्ति दिनांक 30 जून, 1987 के लिए पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश जोशी, उर्जा मंत्री, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1992-93 का भाग-1 व 2 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री निर्भय सिंह पटेल, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल, का दसवां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 1984-85 पटल पर रखेंगे.

(6) श्री लक्ष्मीनारायण शर्मा, कृषि मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, अधिनियम, 1980 (क्रमांक 18 सन् 1980) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 1986-87, 1987-88 एवं 1988-89 पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रामलखन शर्मा, जयकरण साकेत, विश्वम्भरनाथ पाण्डेय, सदस्य रीवा जिले के मनगवां थानान्तर्गत डकैती पड़ने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री तेजसिंह सेंधव, सदस्य, सहकारी उपभोक्ता भंडार देवास द्वारा आदिवासी इलाकों में खाद्यान्न उपलब्ध न कराने से उत्पन्न स्थिति की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री रामनिवास रावत, चौधरी राकेश सिंह, श्री किशोर सखवार, सदस्य, मुरैना एवं शिवपुरी जिले के अनेक क्षेत्रों में खसरे की बीमारी से हुई मौतों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्री नानालाल पाटीदार, सदस्य, मंदसौर जिले की सीतामऊ तहसील में डकैतों द्वारा की गई हत्या की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री रामहित गुप्त, वित्त मंत्री, वर्ष 1992-93 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करेंगे.

## 5. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री कैलाश जोशी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, मध्यप्रदेश अव्यापारिक निगम (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 20 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 21 सन् 1992) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

## 6. अध्यादेश के अननुमोदन का संकल्प

सर्वश्री जालम सिंह पटेल/गजराज सिंह सिकरवार/रविन्द्र चौबे/जगदम्बा प्रसाद निगम/ललित जैन/चौधरी राकेश सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :--

"यह सदन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा बनाये गए मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश 1992 (क्रमांक 4 सन् 1992) का अननुमोदन करता है".

3 घन्टे

## 7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री भेरूलाल पाटीदार, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1992, (क्रमांक 14 सन् 1992) का पुरःस्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (2) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भू-दान यज्ञ (निरसन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 7 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

15 मि. (3) श्री लक्ष्मीनारायण गुप्त, राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ग्रामदान (निरसन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 15 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

1 घन्टा (4) श्री हिम्मत कोठारी, लोक निर्माण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि भारतीय पथकर (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 8 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (5) डा. राजेन्द्र प्रकाश सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनिर्दिष्ट भ्रष्ट आचरण निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 10 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (6) श्री बाबूलाल जैन, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 17 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (7) श्री विक्रम वर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश भोज विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1992 (क्रमांक 16 सन् 1992) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 7 सितम्बर, 1992